हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 178 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह पता निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.09.17. में उसके द्वारा (1) सर्तकता शाखा के पत्र क्रमांकः सतर्कता / जांच / सामा.(मानवाधिकार) / 2017 / 1276 दिनांक 27.06.17 के द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील लूणी कोसरकारी कटाण रास्ते की पैमाईश कर अतिक्रमण हटाने बाबत् जो कार्यवाही आज तक श्रीमान् के स्तर पर हुई कि सम्पूर्ण पत्रावली की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रतियां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उक्त बिन्दुओं से संबंधित प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	